



पटना नगर निगम

मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, पटना।
पत्र सं०-12457



प्रेषक,

उप नगर आयुक्त, (सफाई)
पटना नगर निगम।

सेवा में,

अपर नगर आयुक्त, (केन्द्र प्रायोजित योजना)
सभी कार्यपालक पदाधिकारी,
सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी, (सफाई)
सभी नगर प्रबंधक,
सभी मुख्य सफाई निरीक्षक,
सभी पी०आई०यू०, स्वच्छ भारत मिशन,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-06/12/2017

विषय:-बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 तथा भारत सरकार द्वारा जारी ठोस कचड़ा प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत Bulk Waste Generator के कर्तव्य पर संवाद एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला के संबंध में।

महाशय,

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पटना नगर निगम के द्वारा सभी Bulk Waste Generator को चिन्हित कर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 तथा भारत सरकार द्वारा जारी ठोस कचड़ा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार पालन कराना है। इसी दिशा में उपर्युक्त विषय पर दिनांक-07.12.2017 को 02:30 बजे अपराहन एकदिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन बिहार राज्य आवास बोर्ड, सभा कक्ष, 6 सरदार पटेल मार्ग, पटना-15 में किया गया है।

अतः निर्देशानुसार, अनुरोध है कि इस बैठक में सम्मिलित होने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

उप नगर आयुक्त, (सफाई)
पटना नगर निगम।

ज्ञापांक-12457/पटना, दिनांक-06/12/2017

प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप नगर आयुक्त, (सफाई)
पटना नगर निगम।

“बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना”